राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर–302 017
(फोन एवं फैक्स नं. 0141–2719136)

क्रमांकः–प.6( )रा.सू.आ./संस्था./सलाहकार/2022/ 3086 दिनांक 30-8-2022

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सलाहकारी सेवाओं हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट के सूचीकरण हेतु केन्द्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम/निगम, न्यायालयों राजकीय संस्थानों, रेगूलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवानिवृत अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को सादा पेपर पर अपनी प्रोफाईल अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं।

सलाहाकारो द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण (परिशिष्ट–I) व वांछित योग्यता व अन्य शर्त (परिशिष्ट–II) आयोग की वेबसाईट www.ric.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल पर उपलब्ध है।

(प्रियंका गोस्वामी)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

Annexure-I

सलाहकार द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण :

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्रीय सूचना आयोग व देश के अन्य राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण एवं प्रलेखन (Documentation) करना।

2. आयोग के अन्य कोर्ट द्वारा पारित विशेष निर्णयों (landmark decisions) का परीक्षण एवं प्रलेखन (Documentation) करना।

3. विधिक बिन्दुओं की पहचान करना।

4. अपील प्रकरणों में न्यायालयों/आयोगों के पूर्व निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकरणानुसार लागू होने की संभावना व समीचीनता की समीक्षा/व्याख्या करना।

5. कोर्ट में सुनवाई हेतु लगे अपील/परिवाद/ विशेष अदालतों की केस समरी तैयार कराने में सहयोग करना।

6. ऑनलाईन पोर्टल की क्रियान्विती में सहयोग करना।

7. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के कार्यालय का संचालन, प्रबन्धन एवं उच्च स्तरीय पत्रव्यवहार एवं अन्य कार्य जो मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपे जावें।

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

Annexure-II

सलाहकार की नियुक्ति हेतु अन्य सेवा शर्तें

1. आवश्यक योग्यता :	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. वांछित योग्यता :	प्रशासनिक कार्यों, कार्यालय संचालन एवं प्रबन्धन की व्यापक अनुभव अपेक्षित है।
3. अनुभव :	केन्द्र / राज्य सरकार, लोक उपक्रम / निगम, न्यायालयों राजकीय संस्थानों, रेगूलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवानिवृत अधिकारी जिनका मूल वेतन पे–लेवल एल–13 से कम नही होवे।
4. चयन :	आयोग की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त सलाहकारी सेवाओं हेतु परामर्शदाताओं / कन्सलटेन्ट (Empanellment) सूचीकरण किया जावेगा।
5. भुगतान :	प्रतिमाह 40000 / –रूपये फिक्सड वेतन। (अन्य कोई भत्ते देय नही हैं)
6. अनुबन्ध अवधि :	प्रारम्भिक अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाएगा जिसे आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकता है। सलाहकारी सेवाएं पूर्णकालिक हैं। आयोग की सलाहकारी सेवाओं की अवधि के दौरान किसी अन्य की नौकरी / सेवाएं किये जाने की अनुमति नही होगी।
7. अवकाश :	सलाहकार को एक कलेन्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होगें तथा आवश्यकता होने पर सलाहकार को शनिवार, रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन आयोग में बुलाया जा सकता है। इसके लिए कोई remuneration or honorarium देय नही होगा।
8. अन्य शर्तें :	सलाहकार का पद पूर्णतया अस्थाई (Non-Official) प्रकृति का है तथा सलाहकार से आयोग की गोपनीयता बनाए रखा जाना अपेक्षित है। आयोग के confidential & secret nature के दस्तावेजों की गोपनीयता भंग किये जाने

Contd →

पर सलाहकारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसी कारण सलाहकार द्वारा सलाहकारी सेवाएं छोडी जाती है तो उन्हे आयोग को 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा। अन्यथा नियमानुसार 15 दिन वेतन की कटौति की जाएगी।

9. अनुबन्ध पत्र : सलाहकार द्वारा नियुक्ति के 15 दिन में उक्त सेवा शर्तों की सहमति देते हुए रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर